क्रम संख्या–68 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, मंगलवार, 25 जून, 2024 ई0
आषाढ़ 04, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 185/XXXVI(3)/2024/25(1)/2024
देहरादून, 25 जून, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2024' प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्याः 02, वर्ष– 2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2024)

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नही है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 2 में संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (51–क) के पश्चात् खण्ड (51–ख) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्– "(51–ख) "समर्पित आयोग" से तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अवधारित किये जाने हेतु गठित समर्पित आयोग से है;"
धारा 7 में संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्– "(1) प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथाशक्य, वही होगा जो नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या वही होगी जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करेगी और ऐसे स्थान किसी निगम में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए, आवंटित किये जा सकेंगे।" किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		किन्तु प्रतिबन्ध यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण की कुल संख्या के 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पिछड़े वर्गो के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह और भी कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है,”
धारा 25 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (ठ) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्– "(ठ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनका जन्म दिनांक 27 अप्रैल, 2003 के पश्चात् हुआ है: परन्तु पहली संतान के बाद दूसरे गर्भधारण पर जुड़वा बच्चे या उससे अधिक होने पर अनर्हता सम्बन्धी उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा; या,"

ले.ज. गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से.नि.)
राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

No. 185/XXXVI(3)/2024/25(1)/2024
Dated Dehradun, June 25, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2024 (Uttarakhand Ordinance No.02 of 2024).**

As promulgated by the Governor on 21st June, 2024.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2024

(Uttarakhand Ordinance No. 02 Year, 2024)

Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth year of the Republic of India

An

Ordinance

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (Adaptation and Modification order, 2002) in the context of Uttarakhand state,

WHEREAS, the Uttarakhand State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that such circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to Promulgate the following Ordinance: -

Short title and commencement.	1	(1) This Ordinance may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2024 (2) It shall come into force at once.
Amendment of Section-2	2	In section 2 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959 (Adaptation and Modification order, 2002) (hereinafter referred to as the principal Act) after clause 51-A clause 51-B shall be inserted as follows, namely: - "(51-B) 'Dedicated Commission' means the Dedicated Commission constituted by the State Government to determine the seats of other Backward Classes;"

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of section 7	3	In the principal Act sub section (1) of section 7 shall be substituted as follows, namely; " (1) In every corporation, seats shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the corporation as the population of Scheduled Castes in the municipal corporation area or of the Scheduled Tribes in the municipal corporation area bears to the total population of the such area and the number of seats reserved for backward classes shall be such as determined by the State Government as per the recommendation made by the Dedicated commission on the basis of contemporary, in depth empirical investigation and such seats may be allotted by rotation to different wards in a corporation in such order as may be prescribed by rules: Provided that the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes shall not exceed 50 percent of total number of seats: Provided further that if the total number of reservation for Schedules Castes and Scheduled Tribes is 50 percent or more, there shall be no reservation for the Backward Classes: Provided also that if the data of population of Backward Classes is not available, then their population may be determined by conducting a survey in the manner prescribed by rules."

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of Section 25	4	In principal Act clause (l) of section 25 shall be substituted as follows, namely: - "(l) has more than two living children, who were born after April 27, 2003; Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case of having twin or more children in the second pregnancy after the first child; or,"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा
उत्तराखण्ड

LT. GEN. GURMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.)
GOVERNOR UTTARAKHAND.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधायी/312–2024–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)